संख्याः–1/3/96–का–4–2008

प्रेषक,

प्रशान्त कुमार मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ : दिनांक : 15 मई, 2008

कार्मिक अनुभाग–4

विषय **सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति।**

महोदय,

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत स्थानान्तरण नीति विषयक समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए, स्थानान्तरण सत्र 2008–2009 के लिए शासन द्वारा निर्धारित की गयी निम्न नीति से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ हैं।

1. **स्थानान्तरण निम्न नीति के अनुसार किये जाय**
   (क) प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।
   (ख) प्रोन्नति, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि स्थितियों में स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।
   (ग) किसी अधिकारी/कर्मचारी के व्यक्तिगत कारण, जैसे चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा इत्यादि के आधार पर, स्थान रिक्त होने अथवा दूसरे अधिकारी/कर्मचारी के सहमत होने पर स्थानान्तरण किया जा सकेगा। बशर्ते कि उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो।
   (घ) यदि पति–पत्नी दोनो सरकारी सेवा में हो, तो उन्हें यथासंभव एक ही जनपद/नगर/ स्थान पर तैनात करने हेतु स्थानान्तरण किया जा सकेगा।
   (च) स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी स्थिति में तैनाती के पूर्व स्थान पर सम्बद्ध नही किया जायेगा।
   (छ) समूह 'ग' के लिपिकीय संवर्ग के कार्मिकों, राजकीय शिक्षकों, राजकीय पालीटेक्निक/ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षकों/अनुदेशकों, पैरामेडिकल कर्मियों एवं नर्सेज को छोड़ते हुए अन्य ऐसे कार्मिक जिनके संवर्ग प्रदेश स्तरीय हैं, को 06 वर्ष पूर्ण कर लेने के उपरान्त उक्त जनपद से स्थानान्तरित कर दिया जाय।

2. जिलों में समूह 'क' एवं 'ख' के जो अधिकारी अपनी सेवाकाल में कुल 06 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, को उक्त जिलों से स्थानान्तरित कर दिया जाय। उक्त प्राविधान राजकीय शिक्षकों, राजकीय पालीटेक्निक/ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षकों आदि पर प्रभावी नही होंगे। चिकित्साधिकारियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग द्वारा, कार्मिक विभाग के परामर्श के उपरान्त पृथक से स्थानान्तरण नीति निर्गत की जायेगी।

3. विभागाध्यक्ष कार्यालयों में विभागाध्यक्ष को छोड़कर यदि अन्य अधिकारियों के समकक्ष पद मुख्यालय के बाहर विद्यमान हैं, तो एक विभाग में 06 वर्ष लगातार कार्यरत रहने वाले अधिकारियों को उनके समकक्ष पदों पर मुख्यालय से बाहर स्थानान्तरित कर दिया जाय।

4. उत्तर प्रदेश सचिवालय में यह प्राविधान लागू नही होंगें।

5.(क) प्रत्येक विभाग में उपर्युक्त प्रस्तर–1 ('ख' को छोड़ते हुए) के प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित किये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या के 10 प्रतिशत तक सीमित रखी जाय।

(ख) प्रस्तर–1(ख) तथा प्रस्तर–2 एवं 3 से आच्छादित होने वाले प्रकरणों में 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक स्थानान्तरण किये जाने सकते हैं।

(ग) यदि प्रस्तर–5(क) के प्राविधानानुसार अपरिहार्य परिस्थितियों में 10 प्रतिशत से अधिक स्थानान्तरण किये जाने की आवश्यकता हो, तो मा0 मुख्यमंत्री जी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाय।

6. आय–व्ययक में स्थानान्तरण यात्रा व्यय की मद में प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही स्थानान्तरण किये जाय किन्तु अपरिहार्य कारणों से यदि प्राविधानित सीमा से अधिक धनराशि व्यय होती है, तो मा0 विभागीय मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त वित्त विभाग की सहमति से पुर्नविनियोजन कराकर, आय व्यय में अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान कराया जाय।

7. शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मण्डल स्तर एवं जिला स्तर के समस्त स्थानान्तरण दिनांक 15 मई, 2008 से दिनांक 30 जून, 2008 तक पूर्ण कर लिये जाय। स्थानान्तरण करने के लिए अवधि की गणना हेतु कट आफ डेट 31 मई, 2008 मानी जायेगी। दिनांक 30 जून, 2008 के उपरान्त कोई स्थानान्तरण नही किया जायेगा।

8. यदि किसी विभाग द्वारा विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं के संदर्भ में स्थानान्तरण नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो तो समय से मा0 विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

9. <u>अन्य मार्गदर्शक सिद्धान्त</u> :–

(1) <u>स्थानान्तरण सत्र की अवधि में स्थानान्तरण किये जाने हेतु सक्षम स्तर निम्नवत होगा</u> :–

क्र0सं0	पदनाम	सक्षम स्तर
1	विभागाध्यक्ष तथा समकक्ष स्तर के अधिकारी	मा0 विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी
2	संयुक्त निदेशक एवं उच्च स्तर के अधिकारी	मा0 विभागीय मंत्री जी
3	संयुक्त निदेशक से निम्न समूह 'क' के अधिकारी	विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव
4	समूह 'ख' के अधिकारी	मा0 विभागीय मंत्री जी
5	समूह 'ख' से निम्न स्तर के कार्मिक	कार्यालयाध्यक्ष

(2) <u>स्थानान्तरण सत्र की समाप्ति के उपरान्त अपरिहार्य परिस्थितियों में स्थानान्तरण किये जाने हेतु सक्षम स्तर निम्नवत होगा</u> :–

क्र0सं0	पदनाम	सक्षम स्तर
1	समस्त संवर्गों के समस्त श्रेणियों के अधिकारी एवं कर्मचारी	मा0 विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी

(3) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कदापि न की जाय।

(4) मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चो के माता–पिता की तैनाती, अधिकृत सरकारी चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाय, जहां चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हों।

(5) समूह 'क' के अधिकारियों को उनके गृह मण्डल में तैनात नही किया जायेगा।

(6) समूह 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नही किया जायेगा। प्रतिबंध यह है कि उक्त प्राविधान केवल जनपद स्तरीय विभागों/कार्यालयों में लागू होंगे।

(7) विकलांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक, जिनके आश्रित परिवारीजन विकलांगता से प्रभावित हों, को समान्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाय। ऐसे विकलांग कार्मिकों के स्थानान्तरण गम्भीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से ही किये जाय। विकलांग कार्मिक के द्वारा अनुरोध किये जाने पर पद की उपलब्धता के आधार पर उसे उसके गृह जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है।

(8) तृतीय श्रेणी के कार्मिकों का प्रत्येक 03 वर्ष के उपरान्त पटल परिवर्तन कर दिया जाय।

(9) समूह 'ग' के 02 वर्ष के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को उनके गृह जनपद अथवा इच्छित जनपद में तैनात करने पर विचार किया जाय, बशर्ते कि उनके विरूद्ध कोई अन्यथा तथ्य विद्यमान न हो।

(10) समूह 'क' एवं 'ख' के ऐसे अधिकारी जिनकी सेवानिवृत्ति में 02 वर्ष शेष रह गये हों, का स्थानान्तरण उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए इच्छित जनपद में किये जाने पर यथासंभव विचार किया जाय।

10. **स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जाना :–**

(1) स्थानान्तरण आदेशों में कार्मिकों को अवमुक्त करने की तिथि के सम्बन्ध में यह निर्देश अंकित किये जाने चाहिए कि वे आदेश जारी किये जाने के दिनांक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें और सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तद्नुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुए सम्बन्धित कार्मिक को कार्यमुक्त नही करेंगे, के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(2) स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाय।

(3) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाय, जब तक कि उनके प्रतिस्थानी द्वारा कार्यभार ग्रहण न कर लिया जाय। यह प्रतिबंध आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 एवं पी0पी0एस0 अधिकारियों पर लागू नही होगा।

11. **सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण :–**

सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष एवं सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से 02 वर्ष तक न किये जाय। यदि स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हों, तो स्थानान्तरण हेतु प्राधिकृत अधिकारियों से एक स्तर उच्च अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाय। जिला शाखाओं के पदाधिकारियों के स्थानान्तरणों पर जिलाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त की जाय।

12. **स्थानान्तरण रोकने के प्रत्यावेदन एवं सिफारिश :–**

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करें, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम–27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए निलम्बन के सम्बन्ध में विचार किया जाये। निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के वेतन का भुगतान न किया जाय तथा उसकी सूचना सम्बन्धित कोषाधिकारी को दे दी जाय।

13. **चार्ज नोट :–**

नवीन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित अधिकारी को कार्य की जानकारी होने में किंचित समय लगना स्वाभाविक है, अतः स्थानान्तरित अधिकारी को चाहिए कि वे महत्वूपर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं आदि के सम्बन्ध में एक चार्ज नोट बना दें, ताकि नये अधिकारी को कार्य सम्पादित करने में सुविधा हो।

14. जनहित में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा कभी भी किसी भी कार्मिक को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जा सकेंगे।

15. यह स्थानान्तरण नीति जब तक शासन द्वारा विखण्डित न कर दी जाय, यथावत लागू रहेगीं इस नीति में विचलन/संशोधन एवं स्थानान्तरण हेतु तिथि को पुनरीक्षित करने की कार्यवाही, कार्मिक विभाग के परामर्श के उपरान्त माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश/अनुमोदन प्राप्त कर, की जा सकेगी।

भवदीय,

(प्रशान्त कुमार मिश्र)
मुख्य सचिव।